संख्या: 17M(4)/35–आ0–1/2009–12 टी.सी.

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

समस्त मण्डलाायुक्त, उ0प्र0,
समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

राज्य योजना आयोग–1, नियोजन विभाग
योजना भवन।

लखनऊ: दिनाँक: जनवरी: 28, 2015

विषय: आधार नामांकन हेतु ऐसे निवासियों जिनके पास स्वयं की पहचान और निवास स्थान के समुचित साक्ष्य उपलब्ध न हों, के लिए परिचयकर्ता सह सत्यापक की व्यवस्था।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य योजना आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक: 31–12–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में कतिपय जनपदों से कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 15–09–2011 में उल्लिखित कार्मिकों से भिन्न को परिचयकर्ता सह सत्यापक नियुक्त किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि :–

1. यह आदेश नानस्टेट रजिस्ट्रार द्वारा कराये जा रहे आधार नामांकन पर लागू नहीं है।
2. यह व्यवस्था केवल प्रदेश सरकार द्वारा कराये जा रहे आधार नामांकन कार्य के सम्बन्ध में प्रभावी है तथा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट 1–लेखपाल 2–ग्राम पंचायत अधिकारी 3–ग्राम विकास अधिकारी 4–अध्यापक–प्राइमरी विद्यालय 5–ए0एन0एम0 6–शिक्षा मित्र 7–आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं 8–आशा ही अपने–अपने कार्यक्षेत्र के लिए परिचयकर्ता सह सत्यापक का कार्य किये जाने हेतु अधिकृत होंगे, इनमें से किसी भी एक से सत्यापन कराया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. सामान्यतः प्रत्येक निवासी आधार नामांकन के लिए परिचय/पता हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे केवल अपरिहार्यता की स्थिति में जिन निवासियों के पास परिचय/पता का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न हो, उन्हीं का सत्यापन किया जाये। साक्ष्य न लाने की प्रवृत्ति को प्रत्येक दशा में हतोत्साहित किया जाये।

.....2

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 17M(4)/35–आ0–1/2009–12 टी.सी. तद्दिनांक ::

उक्त की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, बांदा को अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत नरैनी, बांदा के पत्र संख्याः 80/आधार नामांकन–परिचयकर्ता/2014–15 दिनांकः 19–01–2015 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को अविलम्ब निरस्त किया जाये।

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव